अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- जैविक संसाधनों से होने वाले लाभों के आबंटन का स्थानीय स्तर पर जैव विविधता पणधारियों (Stakehodlers) के लिए समान अवसर का अभाव है।
- जैव विविधता तत्संबंधी पारंपरिक ज्ञान का विघटन हो रहा है। कृषि भूमि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीट पतंगों, फफूंद व खरपतवार नाशक रासायनिक दवाओं का लगातार उपयोग कृषि भूमि की मृदा शक्ति को कम कर रहे हैं तथा इसमें सूक्ष्म जैव विविधता के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।
- जैव विविधता से संबंधित उद्यमों को बढ़ावा देने, जिससे स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके का अभाव है।
- राज्य सरकार द्वारा शिकार पर प्रतिबंध के बावजूद भी जंगलों व वनों में अभी भी चोरी छिपे शिकार होता है जिससे बहुमूल्य जंगली जीवों के अस्तित्व को खतरा है।
- पारंपरिक खेती व पशु प्रबंधन का प्रचलन समाप्त हो रहा है।
- बाहरी देशों से आए खरपतवार जैसे लैन्टना, अजरेटम, पारथेनियम, युपेटोरियम और एरीजिरोन इत्यादि का प्रकोप दिन-प्रतिदिन राज्य में बढ़ता जा रहा है जो सरकारी व कृषि भूमि में फैल रहे हैं जिससे स्थानीय जैव विविधता समाप्त हो रही है।
- जलीय जैव विविधता को विकास गतिविधियों, बाहरी प्रजातियों तथा रासायनिक उपयोग के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कर्तव्य

- जैव विविधता प्रबंधन समिति का कर्तव्य स्थानीय स्तर पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् की सलाह व मार्गदर्शन से जैविक संसाधनों के संचालन, संरक्षण, सतत् उपयोग व जैविक संसाधनों से होने वाले लाभाशों का समुचित बंटवारा करना।
- उपयोगी जैविक प्रजातियां जो संकटग्रस्त हो रही हैं, के संरक्षण हेतु कार्य करना।
- झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ जैविक संसाधनों के संचालन, प्रतिपालन व दोहन से संबंधी तालमेल रखना।

जैव विविधता प्रबन्धन समिति की कैसे संरचना होगी?

- प्रत्येक स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत/नगर निकाय) अपने अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) के भीतर जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगी।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामांकित छः व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिसमें कम-से-कम दो महिलाओं एवं एक व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी अधिवेशन में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति में अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- स्थानीय विधायक/संसद सदस्य समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कार्य

- जैव विविधता प्रबंधन समितियों का कार्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श द्वारा जैव विविधता पंजी तैयार करना है।
- पंजी में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके औषधीय या अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान उपलब्धता के संबंध में व्यापक जानकारी का उल्लेख करना।
- स्थानीय वैद्यों, व्यवसायियों, उद्यमियों तथा औद्योगिक इकाईयों जो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, के बारे में जानकारी एकत्रित करना तथा स्थानीय जैव संसाधन उपलब्धता व इससे संबंधित ज्ञान के व्यापक आंकड़े रखना।
- झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी के संबंध में सलाह देना।
- जैव संपदा के पहुँच/संग्रहण एवं पारंपरिक ज्ञान, शुल्क संग्रहण की विवरणी, अन्य लाभों से संबंधित विवरण एवं सहभाजन की प्रणाली से संबंधित विवरण की जानकारी दर्शाते हुए रजिस्टर/पंजी का संधारण।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा जैव विविधता दस्तावेज रखे जाएंगे और विधिमान्य किये जायेंगे।

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें:

सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्

वन भवन परिसर, डोरण्डा, राँची- 834002, फोन - 0651-2482013

ई-मेल : jbbranchi@gmail.com, वेबसाईट : www.jbbjharkhand.org

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्

वन भवन परिसर, डोरण्डा, राँची

जैव विविधता अधिनियम 2002 तथा झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली 2007 के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

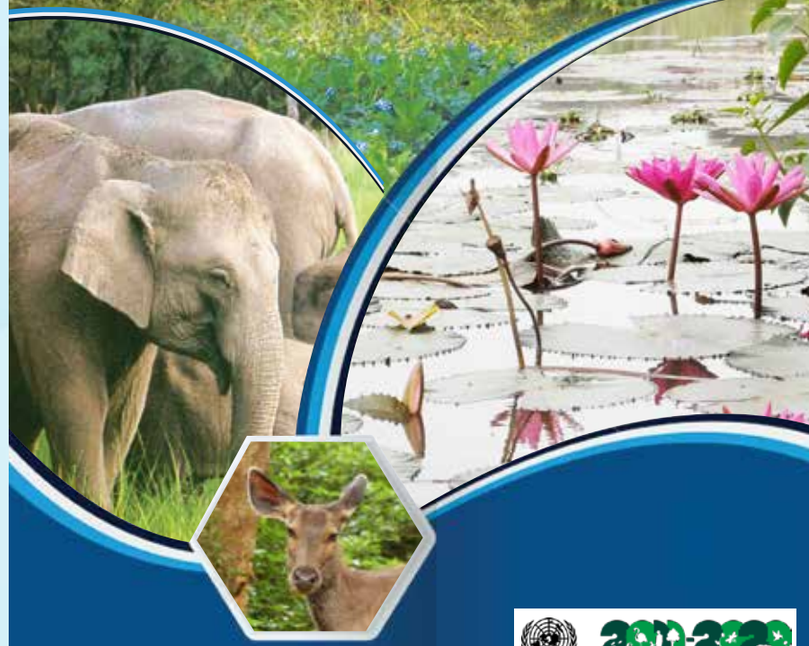

United Nations Decade on Biodiversity

जैव विविधता अधिनियम 2002 एवं नियम 2004 तथा जैविकीय विविधता नियमावली 2007

भारत सरकार द्वारा जैव विविधता के संवहनीय उपयोग एवं सतत् विकास तथा जैव संपदा से व्युत्पन्न लाभाशों के समुचित बंटवारा हेतु जैव विविधता अधिनियम 2002 एवं नियम 2004 अधिसूचित किया गया है जिससे देश के जैव संसाधनों का संचालन, उचित दोहन, सतत् विकास तथा संरक्षण किया जा सके। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। अधिनियम 2002 की धारा-22 के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् का गठन वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-वन्यप्राणी-03/05(खण्ड)-6550; दिनांक-20.12.2007 के तहत् किया गया है जिसमें पांच शासकीय व पांच गैर-शासकीय सदस्य हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी -सह- मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड पर्षद् के अध्यक्ष एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची पर्षद् के सदस्य सचिव हैं।

जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रमुख उद्देश्य

- देश की जैव संसाधनों की पहुंच को नियमित करना ताकि जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का बराबर हिस्सा तथा जैव संसाधनों से संबंधित समसामायिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके।
- जैव विविधता का संरक्षण तथा सतत् (Sustainable) उपयोग करना।
- जैव विविधता से संबंधित स्थानीय समुदायों की जानकारी का आदर व सुरक्षा तथा संरक्षण करना।
- जैव विविधता के संदर्भ में स्थानीय लोगों को जैव संसाधनों के संरक्षण एवं तत्संबंधी ज्ञान तथा सूचना से होने वाले लाभों की बराबर हिस्सेदारी जैविक पणधारियों (Stakehodlers) में सुनिश्चित करना।
- विनाश की ओर अग्रसर हो रही जैविक प्रजातियों का संरक्षण एवं पुनर्वास।
- जैव विविधता के विकास व संरक्षण हेतु जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विरासत स्थल (Heritage site) घोषित करना।

जैव विविधता क्या है?

पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों का समूह है जैव विविधता। जैव विविधता (Biodiversity) का शाब्दिक अर्थ है जीवित प्राणी जगत में विभिन्नता एवं अनेकता। इसमें सभी प्रकार के प्राणी यानि एक कोशकीय जैसे वायरस (Virus) व जीवाणु (Bacteria) से लेकर सूक्ष्म, छोटे तथा बड़े-बड़े पेड़-पौधे तथा जीव-जन्तु तथा पर्यावरण में जिस प्रकार यह प्राणी जगत समूह आपस में आन्तरिक व पारस्परिक तौर पर तथा पारिस्थितिक तंत्र में भिन्नता रखते हैं, शामिल हैं।

जैव विविधता का महत्व

जैव विविधता हमारी रोजमर्रा के जीवन एवं आजीविका का अहम संसाधन है जिस पर परिवार, समुदाय, राष्ट्र एवं भावी पीढ़ियां निर्भर करती हैं। जैव विविधता धरती पर एक ऐसा भण्डार है जहां से मनुष्य की खाद्य, वस्त्र, आश्रय, ईंधन, चारा, औषधि, आध्यात्मिक, मनोरंजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैव विविधता से आवश्यक पारिस्थितिकीय कार्य सुनिश्चित होते हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है तथा इसमें स्वच्छ जल की निरंतर आपूर्ति, पोषक चक्र, मृदा अनुरक्षण भी शामिल है। प्रत्येक जैविक रूपी संसाधन जैव विविधता के अभिन्न अंग हैं तथा पर्यावरण में सभी जैविक घटक का अपना योगदान है। आज के विकासशील दौर में पर्यावरण संतुलन के लिए धरती पर प्राकृतिक जीवित संसाधनों के वैज्ञानिक तौर तरीकों से प्रबंधन की आवश्यकता है।

जैविक संसाधनों पर बढ़ते दबाव

जैविक संसाधनों के वास्तविक एवं संभावित महत्व के बारे में जानकारी के अभाव के कारण इसके अत्याधिक उपयोग से जैव विविधता को आज बहुत हानि पहुंच रही है। इसका प्रमाण कुछ अन्य प्रजातियों तथा कुछ घरेलू वानस्पतिक किस्मों एवं पशु नस्लों का विलुप्त होना उजागर करता है। आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण के इस दौर में मानव गतिविधियों के कारण जैव विविधता तेजी से प्रभावित हो रही है। स्थानीय जैव विविधता पर प्रतिकुल असर दिन प्रतिदिन हो रहा है जिसके फलस्वरूप जल, चारा और ईंधन की अत्याधिक कमी महसूस हो रही है और बाढ़, भू-स्खलन तथा अकाल जैसी प्राकृतिक आपदायें बढ़ गई है।

मानव विकास के पूरे इतिहास के दौरान पृथ्वी ने मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया। जब तक आबादी सीमित रही हमारा प्रकृति से निकट संबंध बना रहा। मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले नुकसान की भरपाई प्रकृति आसानी से कर लेती थी लेकिन ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती गई, मनुष्य ने औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वाहनों की संख्या और अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृतिक जैविक संसाधनों से पोषण के बजाये उनका अंधाधुन शोषण करना आरंभ कर दिया। मानव गतिविधियों के कारण वायुमण्डल में ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है तथा जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं जिससे वन्य जीव-जन्तुओं व वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों पर प्रभाव हो रहा है।

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् की भूमिका

- जैविक स्रोतों के व्यापारिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- जैव विविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी के दस्तावेजीकरण (जन जैवविविधता पंजी) के माध्यम से जैव संसाधनों से सम्बद्ध सूचना तंत्र विकसित करवाना तथा लोगों के परम्परागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- जैव विविधता संबंधी शोध एवं अध्ययन करवाना।
- जैव विविधता संबंधी समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, स्कूलों/कॉलेजों एवं अन्य इकाईयों सहित सभी सहभागियों की जागरूकता व क्षमता वृद्धि में सहयोग करना।
- विभिन्न एजेन्सियों की नीतियों और योजनाओं में जैव विविधता के प्रति सरोकार तथा जैव विविधता पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करना।

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् के कृत्य

जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा-23 के अन्तर्गत पर्षद् के कृत्य-

- केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकारों को, जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों का संभाल कर उपयोग करना तथा जैविक संसाधनों के उपभोग से प्राप्त लाभों का साम्यपूर्ण बंटवारा से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
- भारतीयों द्वारा जैव सर्वेक्षण या वाणिज्यिक उपभोग और किन्हीं जैविक संसाधनों के जैव-उपभोग के लिए अन्यथा निवेदनों या अनुमोदन प्रदान कर विनियमन करना।
- ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हों या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें।

जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के गठन की आवश्यकता

जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा-41 के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committees) का गठन स्थानीय स्वशासित इकाई स्तर पर महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि-

- जैव विविधता को आज के आधुनिक दौर में बढ़ती जनसंख्या तथा विकास गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- आज मानव द्वारा जैविक संसाधनों का दोहन अवैज्ञानिक तौर तरीकों से लगातार किया जा रहा है। खासकर ऐसे जैविक संसाधन जो ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी तथा जड़ी-बूटियों, मांस संबंधित जिससे इस प्रकार के जैविक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है तथा इन प्रजातियों के